

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 581 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2017-18 दिनांक 19 अगस्त, 2017

प्रतिनियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त प्राचार्य पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डॉ श्रीकान्त अवस्थी	उप प्राचार्य रा0गां0न0वि0 कोटाबाग, नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोड़ा
2	श्री बेनीराम कालाकोटी	प्रधानाध्यापक रा0आ0प0उ0मा0वि0 बेतालघाट नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग बहुली बागेश्वर

प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 05 सितम्बर, 2017 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(आर.के.कुंवर) 2017
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: / 14260-69 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2017-18 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 2-जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 3-अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4-कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 5-मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 6-सेवाएँ-1 एवं सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 7-सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
- 8-सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
- 9-सम्बन्धित कार्मिक।
- 10-कार्यालय प्रति।

(चन्दन सिंह बिष्ट)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 582 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2017-18 दिनांक 19 अगस्त, 2017

प्रतिनियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त उप प्राचार्य पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में उप प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डॉ० अविनाश कुमार शर्मा	प्रवक्ता डायट लोहाघाट चम्पावत	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, कोटाबाग, नैनीताल
2	श्री गिरीश चन्द्र थपलियाल	पी0जी0टी0 कम्प्यूटर साइंस, रा0गां0न0वि देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय टिहरी
3	डॉ० तिलक चन्द्र जोशी	प्रवक्ता डायट डीडीहाट पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय अल्मोडा
4	डॉ० आनन्द पाल सिंह	पी0जी0टी0 इतिहास, रा0गां0न0वि देवलधार टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, सन्तूधार पौड़ी
5	श्री संजय कुमार	पी0जी0टी0 कम्प्यूटर साइंस, रा0गां0वि0उत्तरकाशी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी
6	श्री तारकेश्वर प्रसाद यादव	पी0जी0टी0 रसायन, रा0गां0न0वि0 लोहाघाट चम्पावत	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़
7	श्री अनिल कण्डारी	प्रवक्ता गणित रा0इ0का0खुडबुडा, देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, मालतोली, रुद्रप्रयाग
8	श्री नित्यानन्द मिश्र	प्रवक्ता हिन्दी, रा0इ0का0 जानकीधार चम्पावत	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चम्पावत
9	श्री चन्दन सिंह असवाल	प्रवक्ता भूगोल, रा0इ0का0 जाखणीधार टिहरी गढवाल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चमोली


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि०मी० की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हैं, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 05 सितम्बर, 2017 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


(आ० को० कुँवर)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: /14270-79 /उ0आ0वि0स0/रा0गां0न0वि0/प्रतिनियुक्ति/2017-18 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन ।
- 2-जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद ।
- 3-अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल पौडी ।
- 4-कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद ।
- 5-मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद ।
- 6-सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ।
- 7-सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ।
- 8-सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0/रा0क0इ0का0/रा0उ0मा0वि0/रा0क0उ0मा0वि0
- 9-सम्बन्धित कार्मिक ।
- 10-कार्यालय प्रति ।


(चन्दन सिंह बिष्ट)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून ।

कार्यालय: निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/503/उ0आ0वि0स0/रा0गा0न0वि0/प्रतिनियुक्ति/2017-18 दिनांक 19 अगस्त 2017

प्रतिनियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित पद के सापेक्ष स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	पद	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	डॉ अनिल कुमार शर्मा	पी0जी0टी0 अर्थशास्त्र, रा0गा0न0वि0 हरिद्वार	पी0जी0टी0 वाणिज्य	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
2	ज्योति नौटियाल	स0अ0 अंग्रेजी, रा0उ0मा0वि0 पुरखोनी बागेश्वर	पी0जी0टी0 अंग्रेजी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मालतोली रुद्रप्रयाग
3	श्री संजय शर्मा	टी0जी0टी0 गणित, रा0गा0न0वि0 कोटाबाग नैनीताल	पी0जी0टी0 गणित	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
4	श्री चन्द्र शेखर जोशी	प्रवक्ता गणित, रा0इ0का0थल पिथौरागढ़	पी0जी0टी0 गणित	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोड़ा
5	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	स0अ0 गणित, रा0इ0का0 कामदा उत्तरकाशी	पी0जी0टी0 गणित	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
6	श्री भुवन चन्द्र भट्ट	पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान रा0गा0न0वि0चौनलिया अल्मोड़ा	पी0जी0टी0 भैतिक विज्ञान	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
7	श्री अजय कुमार	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान रा0इ0का0थल पिथौरागढ़	पी0जी0टी0 भैतिक विज्ञान	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर
8	श्री प्रवीण उनियाल	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान रा0इ0का0बुगालगढी पौड़ी	पी0जी0टी0 भैतिक विज्ञान	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून
9	डॉ कालिका प्रसाद सेमवाल	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, रा0इ0का0 पिपलीधार टिहरी	पी0जी0टी0 भैतिक विज्ञान	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत
10	श्री सुनील कुमार चन्पाल	स0अ0 गणित, रा0उ0मा0वि0 भट्टीगांव पिथौरागढ़	पी0जी0टी0 भैतिक विज्ञान	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़
11	श्री विशाल मुन्जाल	टी0जी0टी0 विज्ञान, रा0गा0न0वि0 कोटाबाग नैनीताल	पी0जी0टी0 जीव विज्ञान	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बहुली बागेश्वर
12	श्री मनमोहन सिंह	स0अ0 अंग्रेजी, रा0इ0का0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	पी0जी0टी0 इतिहास	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
13	श्री रमेश लाल	स0अ0 सामान्य, रा0इ0का0कोट विशन टिहरी	पी0जी0टी0 इतिहास	राजीव गांधी नवोदय मालतोली विद्यालय रुद्रप्रयाग




प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 05 सितम्बर, 2017 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


(आर0 के0 कुँवर)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: / 14280-89 / उ0आ0वि0स0 / रा0गा0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2017-18 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 2-जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 3-अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4-कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 5-मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 6-सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 7-सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
- 8-सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0।
- 9-सम्बन्धित कार्मिक।
- 10-कार्यालय प्रति।


(चन्दन सिंह बिष्ट) 19/8/17
उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 584 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2017-18 दिनांक 19 अगस्त 2017

प्रतिनियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित पद के सापेक्ष स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	पद	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	स0अ0 गणित रा0इ0का0 कामदा उत्तरकाशी	टी0जी0टी0 गणित	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार
2	श्री विनायक भट्ट	स0अ0, हिन्दी, रा0इ0का0पांचू पिथौरागढ़	टी0जी0टी0 हिन्दी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
3	मंजू बाला बन्टवाल	स0अ0 हिन्दी, रा0इ0का0 श्रीकोट उत्तरकाशी	टी0जी0टी0 हिन्दी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी
4	श्री सूरवीर लाल	स0अ0 हिन्दी, रा0उ0मा0वि0 गातू उत्तरकाशी	टी0जी0टी0 हिन्दी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार पौड़ी
5	श्री अलीशान शाह	स0अ0 अंग्रेजी, रा0इ0का0तेजम पिथौरागढ़	टी0जी0टी0 अंग्रेजी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत
6	श्री जीतपाल चन्द रमोला	स0अ0 सामान्य, रा0इ0का0 कमान्द थौलधार, टिहरी गढवाल	टी0जी0टी0 एस0एस0टी0	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी
7	कु0 पूर्णिमा	स0अ0 सामान्य, रा0इ0का0 खेती	टी0जी0टी0 एस0एस0टी0	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मालतोली रूद्रप्रयाग
8	श्री रमेश लाल	स0अ0 सामान्य, रा0इ0का0 कोट विशन टिहरी गढवाल	टी0जी0टी0 एस0एस0टी0	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
9	श्री चन्द्र पाल सिंह राणा	स0अ0 सामान्य, रा0उ0मा0वि0 सुन्दरखाल अल्मोड़ा	टी0जी0टी0 एस0एस0टी0	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोड़ा
10	श्री कृष्ण कुमार कोटनाला	स0अ0 संस्कृत, रा0इ0का0 तिमली बडमा रूद्रप्रयाग	टी0जी0टी0 संस्कृत	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय टिहरी



क्र. सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	पद	आवृत्त आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
11.	श्री राकेश कुमार	स०अ० संस्कृत, रा०उ०मा०वि० लेटी बागेश्वर	टी०जी०टी० संस्कृत	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल०पी०सी० एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि०मी० की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवृत्त विद्यालय में 05 सितम्बर, 2017 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


(आप्र० के० कुँवर)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: /1429099 /उ०आ०वि०स०/रा०गा०न०वि०/प्रतिनियुक्ति/2017-18 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का०/रा०क०इ०का०/रा०उ०मा०वि०/रा०क०उ०मा०वि०।
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय प्रति।


(चन्दन सिंह बिष्ट)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड


कार्यालय: निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 585 / उ0आ0वि0स0 / रा0गा0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2017-18 दिनांक 9 अगस्त 2017
प्रतिनियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त प्रधान सहायक तथा वरिष्ठ सहायक पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित पद के सापेक्ष स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	पद	आवटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री अरविन्द सिंह कण्डारी	प्रधान सहायक, रा0इ0का0 खरसाड़ा टिहरी	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय टिहरी
2	श्री उमेश रावत	प्रधान सहायक, कार्या0उ0शि0अ0 कालसी	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून
3	श्री विजय सिंह चौहान	प्रधान सहायक, रा0इ0का0 विशाल पौड़ी	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार
4	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	प्रधान सहायक, रा0इ0का0आनन्दचौक	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नैनीताल
5	श्री राकेश त्रिपाठी	प्रधान सहायक, कार्या0उ0शि0अ0 अगस्तमुनी रूद्रप्रयाग	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रूद्रप्रयाग
6	श्री अतुल डिमरी	वरिष्ठ सहायक, रा0इ0का0आलकोट चमोली	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चमोली
7	श्री अनिल सिंह बागडी	वरिष्ठ सहायक, कार्या0खण्ड शि0अ0 थौलधार टिहरी	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी
8	श्री मुकेश मंगगाई	प्रधान सहायक, रा0इ0का0रगड़गांव टिहरी गढवाल	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पौड़ी
9	अंकिता खण्डूरी	प्रधान सहायक, कार्या0उ0ख0शि0अ0जयहरीखाल पौड़ी	प्रधान सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नैनीताल
10	श्री संदीप प्रसाद	वरिष्ठ सहायक, कार्या0जि0शि0अ0प्रा0शि0 रूद्रप्रयाग	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रूद्रप्रयाग
11	श्री कमल चन्द्र	वरिष्ठ सहायक, रा0इ0का0बैडगांव अल्मोड़ा	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नैनीताल
12	श्री वीरन्द्र सिंह पंवार	वरिष्ठ सहायक, रा0गा0न0वि0 देहरादून	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून
13	श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे	वरिष्ठ सहायक, कार्या0मु0शि0अ0बागेश्वर	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर
14	श्री राहुल कुमार जोशी	वरिष्ठ सहायक, रा0उ0मा0वि0 कोडारना टिहरी गढवाल	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय टिहरी
15	श्री आशीष बिष्ट	वरिष्ठ सहायक, कार्या0 उ0ख0शि0अ0 द्वारीखाल	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पौड़ी



क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	पद	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
16	श्री देवेन्द्र गिरी	वरिष्ठ सहायक, रा0उ0मा0वि0गडेरा, बागेश्वर	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय अल्मोड़ा
17	श्री पूरन चन्द	वरिष्ठ सहायक, कार्या0 जिला लेखा परीक्षा अधिकारी स्थानीय निधि तथा सहकारी समितियों, हरिद्वार	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार
18	श्री देवेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक, रा0गां0न0वि0 शिकारपुर हरिद्वार	वरिष्ठ सहायक	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ऊधमसिंह नगर


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।


प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 05 सितम्बर, 2017 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


 (आइ0 के0 कुंवर)
 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: / 14300-04 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2017-18 दिनांक उक्तवत्
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 2-जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 3-अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4-कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 5-मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 6-सेवाएँ-3 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 7-सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
- 8-सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0।
- 9-सम्बन्धित कार्मिक।
- 10-कार्यालय प्रति।


 (चन्दन सिंह बिष्ट)
 उप निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड